



न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक:-

/16 निगरानी

104-1265-III-16

रामकुँवरबाई पति बालाराम पाटीदार निवासी  
ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम  
(म.प्र.)

.....आवेदिका

विरुद्ध

01. सुरेशचन्द्र पिता बसन्तीलाल  
रामेश्वर पिता चिमनलाल मृत द्वारा वारि0
02. बालाराम पिता रामेश्वर
03. गणपतलाल पिता रामेश्वर सभी निवासीगण  
ग्राम हनुमंतिया तहसील जावरा जिला रतलाम  
(म.प्र.)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग केन्द्र  
उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 104/15.16 में पारित आदेश दिनांक  
21/12/15 से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर  
पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करती है।

*(Handwritten signature)*

34  
25/12/16


*(Handwritten signature and date)*  
13/11/16

R-1265-III/16

23-11-2016

आवेदक की ओर से श्री अरबलाक सुरैष्वा  
अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना  
गया। अपर आयुक्त के आदेश की सत्य प्रतिक्रिया  
का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त  
द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील मात्र 20  
दिवस विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण  
निरस्त की गई है। इस संबंध में 2015 (4)  
MP LJ 502 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय  
द्वारा न्याय दृष्टित प्रतिपादित किया गया  
है कि समय - सीमा के विन्दु पर उद्भूत  
दृष्टिकोण अपनाया चाहिए। अतः माननीय  
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक  
सिद्धान्त के प्रकाश में अपर आयुक्त का  
आदेश दिनांक 21-12-2015 निरस्त किया  
जाकर प्रकरण शुभ-दोष पर निराकरण  
हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

  
23/11

  
अरबलाक